

चेकलिस्ट क्र.-17

वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जिला राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत पनियाजोब से बोरतलाव के मध्य तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य के लिये खैरागढ़ वनमंडल के तहत दक्षिण बोरतलाव परिक्षेत्र के अधिन आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 437 की मांग की गई 16.372 हे. वनभूमि एवं 4.582 हे. राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) कुल 20.954 हे. भूमि की मांग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।

निर्धारित नार्मस् के तहत दुगुने बिगड़े वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु दक्षिण बोरतलाव परिक्षेत्र के संरक्षित वनकक्ष क्रमांक पी-465 के बिगड़े वन भूमि रकबा 50.000 हे. में वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। यह भूमि वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त है।

(संजय कुमार यादव)
भा.व.से.

वन मंडल अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़